UPJS010033012024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

**उपस्थित- आदित्य चतुर्वेदी (एच.जे.एस)**

**J. O. Code No- UP 6311**

**दाण्डिक निगरानी सं- 141/ 2024**

राजेश पाठक पुत्र कृष्णगोपाल पाठक निवासी 365 पठकयाना मोहल्ला बबीना थाना बबीना जिला झांसी। ---------**पुनरीक्षणकर्ता**

**बनाम**

1. उ. प्र. राज्य
2. अमित त्रिपाठी पुत्र शिवनारायण निवासी शास्त्री नगर बबीना थाना बबीना जिला झांसी।
3. प्रदीप जैन आदित्य पुत्र विजय कुमार जैन निवासी चन्दा होटल के पीछे थाना नवाबाद झांसी।

--------**प्रत्यर्थीगण**

## निर्णय

1. विद्वान अपर सिविल जज( सी. डि. ) कक्ष सं- 2/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा परिवाद संख्या 8015/ 2023 राजेश पाठक बनाम अमित त्रिपाठी आदि थाना बबीना जिला झांसी के मामले में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19. 02. 2024 से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता/ परिवादी ने प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण संस्थित किया है। उक्त आक्षेपित आदेश द्वारा परिवादी का परिवाद धारा 203 द. प्र. सं के तहत खारिज कर दिया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता/ परिवादी ने उपरोक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 19. 02. 2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण निम्न आधारों के आधार पर संस्थित किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता ने पुनरीक्षण में यह आधार लिया है कि परीक्षण न्यायालय का आदेश तथ्य व कानून के विरूद्ध है एवं निरस्त होने योग्य है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण गुण दोष के आधार पर किया गया है जो कानूनन गलत है। परीक्षण न्यायालय द्वारा अनुबन्ध पत्र का परिवाद में जिक्र न होने वाला तथ्य न लिखा होना का निष्कर्ष निकालने से तथ्य की भूल की है जबकि परिवाद में अनुबन्ध पत्र लिखे जाने की बात लिखी है। अनुबन्ध पत्र में निगरानीकर्ता पक्षकार नहीं है। केवल अनुबन्धपत्र का परीक्षण न्यायालय में इस साक्ष्य के लिए पेश किया गया था कि यह अनुबन्धपत्र अमित त्रिपाठी ने वालू का ठेका उनके नाम मिलने की बात सही है इस तथ्य को साबित करने के लिए निगरानीकर्ता को अनुबन्ध पत्र की फोटो कॉपी दी थी। अनुबन्ध पत्र लिखे जाने व निगरानीकर्ता को उनके पिता के द्वारा अमित त्रिपाठी को नगद व अमित त्रिपाठी के खाते में रूपये ट्रांसफर करने से अनुबन्ध पत्र का कोई सम्बन्ध नही है तथा अनुबन्ध पत्र में निगरानीकर्ता पक्षकार नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकलने में कानूनी भूल की है कि पैसा का अन्तरण किस उद्देश्य से किया गया है स्पष्ट नहीं है। जबकि परिवाद में यह लिखा है कि त्रिमूर्ति कन्शट्रक्शन कम्पनी में पैसा लगाने के लिए अमित त्रिपाठी के खाते में रूपये का अन्तरण किया गया व नगद पैसे दिये गये। परीक्षण न्यायालय ने थाने से आई आख्या पर विचार करने में कानूनी भूल की है। साक्षीगण लखन लाल साहू व देवेन्द्र कुमार ने उनके कथनो में लेनदेने होने का ब्यान दिया था। किन्तु इसके बाबजूद परीक्षण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में कि साक्षीगणों का उपस्थित होना एवं समस्त घटना उनके समक्ष होने का कथन न किये जाने का निष्कर्ष निकालने में कानूनी भूल की है। परीक्षण न्यायालय ने मिथ्या परिवाद दाखिल करके व घटना संदेहात्मक व कपोल कल्पित होने का निष्कर्ष निकालने में भूल

Digitally signed by ADITYA CHATURVEDI
Date: 2026.05.30 14:14:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की है। निगरानीकर्ता ने अपने पिता के खाते से 23,00,000/ - रू० एवं 2,00,000/ - रू० स्वयं के खाते से अमित त्रिपाठी के खाते में आर०टी०जी०एस० किये थे जिसका दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध होने के बाबजूद इस साक्ष्य पर विश्वास न करके परीक्षण न्यायालय ने कानूनी भूल की है। परीक्षण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में कानूनी भूल की है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। उक्त आधार पर निगरानी स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है।

**3.** संक्षेप में पुनरीक्षण को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार है कि अमित त्रिपाठी प्रार्थी के मित्र है। अमित त्रिपाठी ने प्रार्थी व प्रार्थी के पिता गोपालकृष्ण पाठक को लाईफ लाईन हास्पिटल मेडीकल रोड झांसी में पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से मिलवाया तथा इन लोगों ने प्रार्थी व प्रार्थी के पिता से कहा कि त्रिमूर्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी ने नदी के घाटो से बालू उठाने का ठेका लिया है तथा यह भी कहा कि बालू के ठेके में काफी आमदनी होती है और आप त्रिमूर्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी में पैसा लगाने के लिए अमित त्रिपाठी को 30,00,000/ रूपये दे दो तथा पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने प्रार्थी से कहा कि उसका 30,00,000/ - रूपया सुरक्षित रहेगा तथा समय समय पर कम्पनी में लाभ का अंश प्रार्थी को मिलता रहेगा प्रार्थी ने अमित त्रिपाठी व प्रदीप जैन आदित्य की बातों पर विश्वास कर दिनांक 19. 02. 2020 को अमित त्रिपाठी के खाते में प्रार्थी के पिता गोपाल कृष्ण पाठक के खाता सं० 50100243083842 एच०डी०एफ० सी० बैंक शाखा बबीना जिला झांसी से 23,00,000/ - रूपये व प्रार्थी ने अपने खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा बबीना के खाता सं० 1288002110002599 में से 200,000/ - रूपये अंमित त्रिपाठी के खाते में ट्रान्सफर कर दिये व दिनांक 05. 04. 2021 को नकद 582,500/ - रूपये पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के घर पर प्रदीप जैन आदित्य की उपस्थिति में अमित त्रिपाठी को दिये। इस सम्बन्ध में एक अनुबन्धपत्र अखिलेश यादव त्रिमूर्ति कन्सट्रक्शन के सक्षम अधिकारी व कमलेश आर्य निवेशकर्ता व अमित त्रिपाठी के मध्य दिनांक 05. 04. 2021 को तहरीर किया गया। अनुबन्धपत्र के अनुसार कमलेश आर्य भी नदियों के घाटों से बालू उठाने में त्रिमूर्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी में हिस्सेदार था। दिनाक 19. 02. 2020 को पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के कहने पर प्रार्थी व उसके पिता ने अमित त्रिपाठी के खाते में 25,00,000/ - रूपये ट्रान्सफर किये थे व 582,500/ - रूपये नकद दिये थे लेकिन केवल 800,000/ - रूपये प्रार्थी को जरिये चैक 400,000/ - रूपये 400,000/ - रूपये की दो चैकों से लाभांश का मिला है प्रार्थी को यह ज्ञात होने पर कि बालू उठाने का काम त्रिमूर्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थी ने अपने व अपने पिता गोपाल कृष्ण पाठक के 30,82,500/ - रूपये माँगे तो अमित त्रिपाठी प्रार्थी व उसके पिता के रूपये वापिस नहीं कर रहे है तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से रूपये वापिस करने की बात कहने पर वह भी प्रार्थी के रूपये वापिस करने में टाल मटोल कर रहे है तथा दिनांक 30. 11. 2022 को अमित त्रिपाठी ने प्रार्थी के रूपये वापिस करने व प्रदीप जैन आदित्य ने प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के रूपये वापिस करने से इंकार कर दिया तथा प्रार्थी को भय है कि अमित त्रिपाठी व प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केन्द्रीय मंत्री के साथ मिलकर प्रार्थी व उसके पिता के 30,82,500/ - रूपये हडप न कर ले। प्रार्थी ने दिनांक 12. 03. 23 को पुनः अमित त्रिपाठी से अपने रूपये मागे तो वह प्रार्थी को मारने पर आमादा हो गया, गाली गलौज करने लगा व जान से मारने की धमकी दी एवं कहा कि भविष्य में रूपये मांगे तो जान से खत्म कर देगें। प्रदीप जैन आदित्य केन्द्रीय मंत्री रहे है तथा उन्होने कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तथा कहा कि हम लोगों ने तुम्हारे रूपये हडप कर लिए है। अमित त्रिपाठी व पूर्व

केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पुत्र नामालूम निवासी चन्दा होटल के पीछे जिला झासी ने प्रार्थी व प्रार्थी के पिता गोपाल कृष्ण पाठक को धोखा देकर प्रार्थी व प्रार्थी के पिता गोपाल कृष्ण पाठक के मुवलिग 30,82,500/ - रूपये हडप कर लिया है। अतः अमित त्रिपाठी व प्रदीप जैन आदित्य के खिलाफ प्रार्थी व प्रार्थी के पिता गोपाल कृष्ण पाठक को धोखा देकर प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के 30,82,500/ - रूपये हडप करने के बावत थाना बबीना में रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थानाध्यक्ष थाना बबीना को आदेशित करने की प्रार्थना की गयी है।

**4.** विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण के उपरोक्त आधारों का खण्डन करते हुए मौखिक तर्क रखा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19. 02. 2024 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक अवलोकन के बाद पूर्णतः विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है।

**5.** प्रत्यर्थीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिवीजनकर्ता के द्वारा झूठे व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत परिवार को संदेहास्पद व कपोल कल्पित मानते हुए धारा- 203 सी०आर०पी०सी० में ठीक ही खारिज किया है रिवीजनकर्ता ने रिवीजन भी आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो कि खारिज होने योग्य है। रिवीजनकर्ता ने धारा 156 ( 3) सी०आर०पी०सी० के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने हेतु विविध प्रार्थना पत्र 357/ 23 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमें थाना बबीना से जॉच कर आख्या आहूत की गयी थी तथा पुलिस ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी आख्या में वाद जॉच यह बताया कि अमित त्रिपाठी के साथ राजेश पाठक व कमलेश आर्य ने त्रिमूर्ति कन्ट्रक्शन के अखिलेश यादव के साथ 2. 5 प्रतिशत हिस्सेदारी की पार्टनरशिप की थी तथा सभी ने पैसे लगाए थे। पार्टनरशिप का अनुबंध भी लिखा गया था। लॉकडाउन के कारण फर्म घाटे में चली गई सभी पार्टनरों से और पैसे लगाने को कहा किन्तु किसी ने नहीं लगाया फर्म ब्लैक लिस्ट हो गयी और सभी पार्टनरों को घाटा हुआ सभी पार्टनर लाभ व हानि के बराबर - 2 हिस्सेदार थे। पुलिस ने सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच कर आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को परिवाद में दर्ज कर स्वंय परीक्षण किया तथा परीक्षण के क्रम में परिवादी के ब्यान धारा - 200 सी०आर०पी०सी० के लिए जो निम्न है- अमित एन०जी०ओ० में काम करते है मै उनका सी०ए० हूँ उन्होने 2020 में टीकमगढ के बालू के ठेले में पार्टनर बनने के लिए 25 लाख / - रुपया आर०टी०जी०एस० व 5,82,000 / - रुपया नगद लिए थे। प्रदीप जैन गारंटर थें। परिवादी ने स्वंय को सी०ए० बताया है किन्तु उसने स्वंय की पार्टनरशिप के तथ्य को जानबूझकर छुपाया है उसने दि०- 05. 04. 2021 को त्रिमूर्ति कन्ट्रक्शन के अखिलेश यादव व स्वंय के बीच हुई पार्टनरशिप को छुपाया है। जो भी रुपया उसने आर०टी०जी०एस० से अमित को दिया। अमित त्रिमूर्ति कन्ट्रक्शन के खाते में ट्रांसफर किया है अमित ने स्वंय दि० - 29. 12. 2022 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था कि त्रिमूर्ति कन्ट्रक्शन के आश्वासन पर दि० - 19. 02. 2020 को 25 लाख / - रुपया पहले मेरे खाते में राजेश पाठक ने भेजा तथा इसके बाद अमित के खाते से राजेश पाठक ने ही त्रिमूर्ति कन्ट्रक्शन के खाते में दि० - 19. 02. 2020 को ट्रांसफर किया गया था किन्तु राजेश पाठक ने सी०ए० होने का लाभ उठाकर कलम की बाजीगरी दिखाते हुए फर्म से की पार्टनरशिप को छुपाकर झूठे तथ्यों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया था

जिसे प्रथम दृष्टया गलत पाते हुए खारिज किया गया है। रिवीजनकर्ता ने प्रश्नगत परिवाद दि० - 15. 03. 2023 को प्रस्तुत किया तथा इन्ही तथ्यों के आधार पर दि०- 06. 08. 2024 को थाना बबीना में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अमित त्रिपाठी के खिलाफ मु०अ०सं० - 0296/ 2024 अं०धारा 406, 504, 506 आई०पी०सी० के तहत दर्ज करायी है परिवाद व प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु एक ही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल अमित को आरोपी बनाया है परिवाद में श्री प्रदीप जैन आदित्य जी को भी आरोपी बनाया था परिवाद दि०- 19. 02. 2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था जिसका रिवीजन न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष लंबित है जिसमें रिवीजनकर्ता लगातार गैर हाजिर है तथा उसने समान तथ्यों के आधार पर एफ०आई०आर० करा दी है एफ०आई०आर० में परिवाद व रिवीजन की बात को छिपाया है दर्ज कराई गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 ( 2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित नहीं किया जा सकता है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवाद के सम्पूर्ण परीक्षण के वाद पारित आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा pepsi foods ltd V/ s special judicial magistrate ( 1998) 5 sc 749 को प्रयोज्य मानते हुए लिखा है कि समनिंग आदेश पारित करते समय मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करना आवश्यक है। परिवादी ने तीसरे पक्ष त्रिमूर्ति कन्ट्रक्शन से बालू खनन के लिए 2. 5 प्रतिशत की हिस्सेदार विपक्षी सं- 1 अमित त्रिपाठी व कमलेश आर्या के साथ की तीनों ने पैसा लगाया लॉकडाउन के कारण घाटा हुआ तो सी०ए० होने का दिमाग लगाकर पार्टनरशिप को छुपाकर आपराधिक शिकायत अमित त्रिपाठी के विरूद्ध कर दी तथा पूर्व में भी समाज में साफ स्वच्छ छवि रखने वाले प्रदीप जैन आदित्य को भी राजनीतिक द्वेष के तहत आरोपी बना दिया जब पुलिस ने जॉच में पार्टनरशिप अनुबंध प्रस्तुत किया तो अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के आधार पर परिवाद को कानून के मुताबिक खारिज किया है रिवीजनकर्ता का रिवीजन खारिज होन योग्य है। रिवीजनकर्ता अमित त्रिपाठी का सी०ए० रहा है। उसे अमित त्रिपाठी के सभी प्रकार के लेन देन की जानकारी रहती है वह सारा आय व्यय का ब्योरा रखता है उसने पहले बालू का व्यापार करने के उददेश्य से अमित को साथ लेकर त्रिमूर्ति कन्ट्रक्शन से पार्टनरशिप की तथा घाटा होने पर अमित से वसूली कर रहा है। उसने स्वंय स्वीकार किया है कि 4- 4 लाख के 2 चैक के माध्यम से वह 8 लाख / - रुपया ले चुका है तथा उसने परिवाद के वाद दि०- 05. 07. 2024 को अमानत के तौर पर रखे चैक सं- 112032 से 11 लाख / - रुपया की धनराशि भरकर बाउन्स कराकर धारा 138 एन०आई० एक्ट का परिवाद अमित त्रिपाठी के विरूद्ध कर चुका है जो कि विचाराधीन है तथा अमित त्रिपाठी का सी०ए० होने के कारण उसके पास फर्जी चैक सं 0- 112031 6 मु० लाख / - रुपया व चैक सं- 112035 मु 1 लाख / - रुपया का चैक और रखा है उसने दि० - 15. 03. 2023 को परिवाद दि०- 05. 07. 2024 को 138 एन. आई. एक्ट का परिवाद तथा दि०- 06. 08. 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही घटना के लिए विपक्षी अमित त्रिपाठी के खिलाफ की है। वह बालू घाट के लिए की गई पार्टनरशिप में हुए घाटे को अमित से वसूलने के लिए उसके खिलाफ लगातार झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर एक ही कहानी बनाकर भिन्न - 2 तरह के परिवाद व एफ०आई०आर० कर रहा है तथा अमानत के तौर पर रखे चैको का भी दुरूपयोग उसके द्वारा किए जाने की पूर्ण संभावना है उसने अमित से 25 लाख / - रुपया के बदले में 26 लाख / - रुपया के चैक के रखे थे जिनमें 4- 4 लाख के चैक से 8 लाख प्राप्त कर लिए तथा 11 लाख / - रुपया का

मुकदमा कर दिया और 6 लाख / - रुपया व 1 लाख / - रुपया का चैक अभी रखे है इसलिए उसके उपरोक्त आचरण के आधार पर प्रस्तुत रिवीजन खारिज होने योग्य है। उक्त आधार पर निगरानी खारिज किए जाने की याचना की गयी है।

**6. न्यायालय ने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं प्रत्यर्थीगण की बहस सुनी व पत्रावली का परिशीलन किया।**

7. मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि मूलतः परिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 2 झांसी के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156( 3) द. प्र. सं योजित किया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17. 4. 23 को परिवाद केस के रूप में पंजीकृत कर जांच संचालित कर दी। मामले में मुख्यतः उभयपक्ष के मध्य बालू के ठेके को लेकर प्राप्त आमदनी या लाभांश का विवाद विद्यमान है। प्रार्थी का कहना है कि उसने विपक्षीगण को तीस लाख रूपये उनके व्यवसाय में इस आश्वासन पर दिए थे कि उसे लाभांश मिलता रहेगा किन्तु विपक्षीगण ने केवल प्रार्थी को चार - चार लाख रूपये के रूप में दो चेको से लाभांश दिया और उसके पश्चात पैसा देना बंद कर दिया जब प्रार्थी ने लाभांश या उसके न देने पर अपनी निवेशित धनराशि की मांग की तो विपक्षीगण ने उसे देने से इंकार कर उसके पैसे हडप लिए। सर्वप्रथम यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के साथ किसी प्रकार का अनुबंध पत्र जिसे उसे उसके नाम से पक्षकार बनाते हुए प्रार्थी व विपक्षीगण् के मध्य निष्पादित हुआ हो ,अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दाखिल नही किया था। उसने जो अनुबंध पत्र दिनांकित 05. 4. 2021 का उल्लेख किया है और जिसको उसने मूल पत्रावली में 11B के रूप में संलग्न किया है। उससे विदित होता है कि उसमें पक्षकार विपक्षी संख्या 1 व द्वितीय पक्षकार कोई कमलेश आर्य नामक व्यक्ति है यदि प्रार्थी विपक्षीगण के साथ पार्टनरशिप में बालू के खनन को लेकर संचालित ठेके से लाभांश प्राप्त करना चाहता था तो निश्चित रूप से उसने एक चार्टटेड एकाउंटेंट होने के नाते विपक्षीगण के साथ एक अनुबंध पत्र या पार्टनरशिप डीड सम्पादित की होगी। प्रार्थी चार्टटेड एकाउंटेंट होने के नाते इतना भोला भाला नही हो सकता कि वह तीस लाख रूपये विपक्षीगण को देते समय कोई उनके साथ लिखा पढी न करे। तीस लाख रूपये की धनराशि एक बहुत बडी धनराशि है जिसका केवल मौखिक आधार पर आदान प्रदान न्यायालय वर्तमान केस की परिस्थितियों में तर्कसंगत व औचित्यपूर्ण नही पाता। यदि प्रार्थी एक अनपढ या अल्प शिक्षित व्यक्ति होता तो उसके साथ विपक्षीगण द्वारा जिसमें एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री भी है कदाचित छल या प्रवंचना कर सकते थे किन्तु निगरानीकर्ता के चार्टटेड एकाउंटेंट होने के नाते इसकी सम्भावना कम है।

8. जहां तक प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 202 द. प्र. सं के अधीन अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष परीक्षित कराये गए दो साक्षीगण सी . डब्लू- 1 देवेन्द्र कुमार पाठक व सी. डब्लू- 2 लखन लाल साहू के बयानो का है तो उनमें से सी. डब्लू- 1 देवेन्द्र कुमार पाठक निगरानीकर्ता का सगा भाई है और सी. डब्लू- 2 लखन लाल साहू ने भी अपनी जानकारी का कोई स्त्रोत नही बताया है यही हाल सी. डब्लू- 1 देवेन्द्र कुमार पाठक का है। इन दोनो गवाहान ने परिवाद केस के अनुरूप सम्पूर्ण बयान दिए है किन्तु इन्होने ऐसा कोई बयान नही दिया है कि उन्हें मामले की सम्पूर्ण जानकारी किस पक्षकार से कब व कैसे प्राप्त हुयी। वे दोनो स्वयं को चश्मदीद साक्षी भी नही बताते है और न ही मौके पर रहना बताते है। वे दोनो गवाहान प्रशिक्षित साक्षी है। अतः उन पर भरोसा न करके अधीनस्थ मजिस्ट्रेट ने विधि संगत कदम उठाया है।

9. निगरानीकर्ता की पत्रावली में विपक्षीगण ने 8B आपत्ति के साथ जो थाना बबीना जिला झांसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या296/ 2024 अन्तर्गत धारा 406,504,506 भा. द. सं की प्रतिलिपि संलग्न की है,उसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट इस मामले के निगरानीकर्ता द्वारा ही दिनांक 19. 2. 2020 से लेकर दिनांक 27. 4. 2024 की घटना को लेकर दिनांक 06. 8. 2024 में थाना बबीना में दर्ज करायी गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट मुख्य रूप से परिवाद केस में वर्णित कथानक से साम्यता रखती है। अतः स्थापित विधि अनुसार जब एक आपराधिक मामले को लेकर पुलिस या न्यायालय में से किसी एक में मामला दर्ज हो तो उस आपराधिक मामले में न्यायालय में दो मामले संचालित नही रखे जा सकते है। अतः इस आधार पर भी वर्तमान परिस्थितियों में अब संबंधित परिवाद को पुर्नजीवित करने का कोई न्याय संगत विधि संगत आधार नही रह जाता है।प्रार्थी के पिता गोपालकृष्ण पाठक व विपक्षी सं 1 के मध्य चैक के अनादरण का वाद अन्तर्गत धारा 138 एन. आई. एक्ट थाना बबीना परिवाद संख्या 11450/ 2024 के रूप में न्यायालय अपर सिविल जज (जू. डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी में विचाराधीन लम्बित है। जिसके तलबी आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 13. 10. 2025 विपक्षीगण ने दाखिल की है।इस तथ्य को निगरानीकर्ता ने न्यायालय से छिपाया है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि निगरानीकर्ता मामले में स्वच्छ हाथों से न्यायालय नही आया है और कदाचित विपक्षीगण पर न्यायालय के माध्यम से अनुचित दबाव डालकर विपक्षीगण से स्वयं अवैध धन की वसूली करना चाहता है।निगरानीकर्ता की निगरानी में विधिक बल नही है और अधीनस्थ न्यायालय ने जो परिवाद खारिज किया है,वह गुण दोष पर और विभिन्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुक्रम में पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने परिवाद को गुण दोष पर सम्यक न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उचित विवेचना कर सही निष्कर्ष दिया है जिसमें कोई भी अवैधानिकता ,कपोल कल्पना व महत्वपूर्ण गम्भीर अनियमितता दृष्टिगोचर नही होती है। निगरानीकर्ता की निगरानी निराधार है।अतः खारिज होने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

निगरानीकर्ता राजेश पाठक की आपराधिक निगरानी 3A अन्तर्गत धारा 397 द.प्र.सं खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांकित 19-2-2024 समपुष्ट किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली विहित समय में दाखिल दफतर की जाये व निगरानी न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय के साथ निर्धारित समय में दाखिल दफतर हो। तदनुसार उक्त निगरानी निस्तारित।

दिनांक-30.05.2026

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश,एस. सी. एस. टी एक्ट
झांसी।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षर करके व दिनांक डाल करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-30.05.2026

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश,एस. सी. एस. टी एक्ट
झांसी।